न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 50/23 निर्णय दिनांकः 04-03-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/54)

1. अब्दुल अजीज पुत्र हाजी नूर जाति मुसलमान
2. अब्दुल गफफ़ार
3. सतार खॉं
4. मुनसीब अली
5. युनस अली
6. मरीयम
7. गामा
8. बेगा
9. नजीरा
10. पिरोजा
11. भुरा

पुत्र/पुत्रियॉं मु. जन्नत अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासीगण दामोलाई तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. जन्नत पत्नी मोहम्मद हनीफ जाति मुसमान निवासी दामोलाई तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर
2. कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरनसर जरिये सचिव तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड बीकानेर जरिये अधिशाषी अभियन्ता, बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 03–06–2013
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री राजेश कुमार सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 03–06–2013 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् संख्या 1 की पत्नी एवं अपीलांट्स संख्या 2 ता 11 की माता मु. जन्नत पत्नी अब्दुल अजीज द्वारा वर्ष 1992 में वादग्रस्त भूमि तहसील छत्तरगढ़ के चक 1 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 92/47 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि जोकि बतौर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी, के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि के आवंटन हेतु दो अन्य प्रार्थना पत्र प्रथम लखविन्द्र सिंह पुत्र जगविन्द्र सिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–03–1993 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से सभी आवेदकों की समान वरियता मानते हुए अपीलांट्स की पत्नी/माता द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य आवेदक लखविन्द्र सिंह पुत्र जगविन्द्र को दिनांक 16–03–1993 को किया गया। उक्त आवंटन से व्यथित होकर अपीलांट् व अन्य आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–04–1994 को अपील को स्वीकार करते हुए लखविन्द्र सिंह पुत्र जगविन्द्र को किये गये आवंटन दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16—03—1993 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः जॉच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

उन्होनें आगे कथन किया कि न्यायालय हाजा के निर्णय के पश्चात् आवंटन पत्रावली पर पुनः कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने पर पूर्ववर्ती आवंटी लखविन्द्र सिंह द्वारा रिमाण्ड प्रकरण की कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लिये जाने पर उक्त भूमि के आवंटन हेतु दो पात्र व्यक्ति अर्थात अपीलांट्स की पत्नी/माता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु उपस्थित आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम सबूतों की जॉच करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 29—10—1999 को अपीलांट्स की पत्नी/माता के नाम करने के आदेश प्रदान किये गये, उक्त आदेश की पालना में अपीलांट् की पत्नी/माता जिसके द्वारा पूर्व में ही 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई थी, के समायोजन किया गया तथा मौके पर अपीलांट्स को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आवंटन बाबत् तमाम कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण कर ली गई थी। अपीलांट्स की पत्नी/माता ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण वादग्रस्त भूमि का पट्टा प्राप्त नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21—03—2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आवंटन पट्टा जारी करने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से क्षेत्राधिकार एवं पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को दरकिनार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का मुख्य आधार यह लिया गया है कि मात्र 500/— रूपये जमा करवाने मात्र से अपीलांट्स को आवंटी नहीं माना जा सकता, परन्तु आदेश जैर अपील पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि अपीलांट्स द्वारा पूर्व में ही 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी थी। इस प्रकार आक्षेपित आदेश पूर्णतया विधि विरूद्व तरीके से पारित किया जाना स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत पारित किया जाना परिलक्षित होता है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स को विधिवत आवंटित भूमि रही है तथा अपीलांट्स द्वारा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर तमाम अधिकार अपीलांट्स के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उत्पन्न होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि अधिसूचना वर्ष 1996 के माध्यम से मण्डी आर.डी. 465 की अधिकारिता में शामिल करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है। जबकि वादग्रस्त भूमि जब तक विशेष आवंटन हेतु प्रकाशित गजट से बाहर करते हुए डिनोटिफाईड नहीं कर दी जाती तब तक वादग्रस्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं की जा सकती थी।

प्रकरण में अपीलांट्स के समक्ष उक्त तथ्य सामने आने पर कि अपीलांस को आवंटित भूमि मण्डी क्षेत्र हेतु आरक्षित की जा चुकी है, के आदेश के विरूद्व अपीलांट्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07–06–1996 को चुनौती दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05–01–2015 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलांट्स राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के निर्णय उपरान्त विधि में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकारों को दरकिनार नहीं किया गया है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात् से ही अपीलांट्स के अधिकार उत्पन्न हो चुके थे, ऐसी स्थिति में जब तक अपीलांट्स के विधिवत अधिकार वादग्रस्त भूमि पर समाप्त नहीं हो जाते, व उक्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से विमुक्त (डिनोटिफाईड) नहीं हो जाती तब तक उक्त भूमि का आवंटन अन्य श्रेणी में नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत एवं पूर्ववर्ती कार्यवाहियों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट्स के हक में वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश जारी करने के आदेश प्रदान किये जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 336 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है, ऐसे

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एकतरफा आदेश में मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण अंकित किये गये है। अतः अपीलांट्स अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की पत्नी/माता को कभी भी आवंटित भूमि नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन विभाग के परिपत्र एफ 4(2)उप/2008 दिनांक 21–04–2010 के द्वारा ऐसे प्रकरण जिनमें आवंटन आदेश जारी नहीं हुए हो, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है कि मात्र 500/– रूपये जमा करवाने वाले व्यक्ति को आवंटी नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थिनी द्वारा नियत अवधि में 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने पर प्रार्थिनी का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सभी तथ्यों को दृष्टिगत् रखा गया है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट्स का यह कथन कि उनके द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है, इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि अपीलांट्स द्वारा उक्त राशि निलामी में शामिल होने के आधार पर जमा करवाई थी, नाकि उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात् किश्तों के रूप में उक्त राशि जमा करवाई गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् रूप से अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उन्होनें आगे कथन किया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्ष 1996 में ही राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से मण्डी हेतु आरक्षित की जा चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मण्डी हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में भी वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट्स की पत्नी/माता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया था, जोकि फौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भी बतौर वारिसान अपीलांट्स के वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होने से भी अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की प्रारम्भ से ही जानकारी प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–06–2013 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 21–08–2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु लम्बी अवधि से चाराजोई की जा रही है ऐसी स्थिति में मियाद प्रार्थना पत्र में अभिलिखित कथनों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में विचारणीय योग्य बिन्दु/प्रश्न यह है कि क्या वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि होने से अपीलांट्स के आराजी जैर पर अधिकार उत्पन्न होते है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व आराजी जैर के संबंध में पारित पूर्ववर्ती आदेशों एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में विधि द्वारा सुविस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक आराजी जैर को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि अर्थात गजट नोटिफाईड भूमि को राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यमसे गजट से विमुक्त अर्थात डिनोटिफाईड किये बिना अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जा सकता है अथवा नहीं?

उपरोक्त बिन्दुओं/प्रश्नों के निर्धारण हेतु वादग्रस्त भूमि की पृष्ठभूमि एवं आराजी जैर के संबंध में अपीलांट्स द्वारा विभिन्न न्यायालय स्तर पर की गई चाराजोई को देखा जाना अपरिहार्य हो जाता है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि आराजी जैर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आंमत्रित किये जाने पर अपीलांट्स की पत्नी/माता व अन्य आवेदक लखविन्द्र सिंह व जन्नत पत्नी मोहम्मद हनीफ द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे। उक्त आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी आवेदकों द्वारा 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए निलामी में भाग लेने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–03–1993 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य आवेदक लखविन्द्र सिंह पुत्र जगविन्द्र सिंह को किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकार, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15–04–1994 को लखविन्द्र सिंह को किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबंध में पुनः कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर अन्य आवेदक लखविन्द्र सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अपीलांट्स की पत्नी/माता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–10–1999 को आराजी जैर का आवंटन अपीलांट्स की पत्नी/माता के नाम वादग्रस्त भूमि का आवंटन का पात्र आवंटन सलाहकार समिति द्वारा घोषित किया गया। इस प्रकार इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट्स की पत्नी/माता को नहीं हुआ है। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के आवंटन पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मात्र 500/– रूपये जमा करवाने मात्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से अपीलांट्स को पात्र नहीं माना जा सकता। जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट्स की पत्नी/माता को पूर्व में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पात्र घोषित किया जा चुका है तथा विधिक रूप से यदि किसी काश्तकार व्यक्ति को एक बार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पात्र घोषित कर दिया जाता है तो पुनः प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाने का कोई औचित्य है। कालान्तर में वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में ही 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्ववर्ती रिकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किये बिना ही अपीलांट्स के वादग्रस्त भूमि पर उत्पन्न विधिवत अधिकारों को समाप्त किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 336 में अभिलिखित किया गया है कि:– Raj Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Aera) Rules, 1975, Rule 13-A – Raj. Colonisation Act. 1954 Section 7/28 – Sale of Govt. land by special allotment – Gazatte Notification dt- 05-01-1991 of state govt. for allotment of land by way of special allotment petitioners filed applications – After detailed enquity the Allotment Authority passed allotment orders in favor of petitioners – Petitioners deposited 35% of price – Earnest money also deposited – Petitioners have completed all the formailities required under Rules – Held, simply because a formal letter has not been issued for allotment it cannot be said that the petitioners cannot be put into possession of the land in such cases, allotment orders be issued and possession on the land be handed over., प्रस्तुत मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है क्योंकि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए आराजी जैर का आवंटन अपीलांट्स के हक में किया गया था तथा मात्र आवंटन पट्टा जारी नहीं होने से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकार

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आराजी जैर पर समाप्त नहीं माने जा सकते। ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी स्वीकार योग्य है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु वर्ष वर्ष 1992 से निरन्तर विभिन्न न्यायालय स्तर पर चाराजोई की जा रही है तथा मात्र सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित करते हुए कि अपीलांट्स को 500/– रूपये बतौर धरोहर राशि जमा करवाने के आधार पर आवंटी नहीं माना जा सकता, अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में स्वीकार योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 03–06–2013 पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

प्रकरण में विचार योग्य अन्य बिन्दु कि क्या कोई भूमि जोकि विशेष आवंटन हेतु राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आरक्षित की गई है, को बिना गजट से विमुक्त (डिनोटिफाईड) किये अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित की जा सकती है अथवा नहीं? इस संबंध में यह तथ्य निर्विवाद है कि ऐसी भूमियों के संबंध में जो नियम विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है, उक्त नियम आम काश्तकारों की तरह अन्य राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होते है। प्रकरण में इस तथ्य को नकारा नहीं किया जा सकता कि उक्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में अधिसूचित भूमि रही है तथा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्या बतौर प्रमाण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित होता हो कि आराजी जैर को गजट से विमुक्त अर्थात डिनोटिफाईड करने के उपरान्त उक्त भूमि मण्डी हेतु आरक्षित की गई हो। प्रकरण में चूंकि अपीलांट्स द्वारा मण्डी को आरक्षित किये जाने की अधिसूचना को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, तथा उक्त तथ्य के निर्धारण की शक्तियॉ भी न्यायालय को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में मण्डी हेतु उक्त भूमि के आरक्षण के बिन्दु पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। वरन् प्रस्तुत अपील के माध्यम से मात्र यह देखा जाना है कि क्या वादग्रस्त भूमि बतौर विशेष आवंटन श्रेणी में होने पर अपीलांट्स के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार उत्पन्न होते है अथवा नहीं? प्रकरण में चूंकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपरलिखित अभिवर्णन से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की पत्नी/माता को विधिवत् आवंटित भूमि रही है तथा मात्र आवंटन पट्टा जारी नहीं होने मात्र से वादग्रस्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि पर अपीलांट्स के विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के माध्यम से भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से जाहिर है कि केवल मात्र आवंटन पट्टा जारी नहीं किये जाने मात्र से किसी आवंटी के विधिवत् अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

7. अतः उक्त विवेचन व नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–06–2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के उत्पन्न अधिकारों को दृष्टिगत् रखते हुए आराजी जैर का आवंटन पट्टा/आदेश जारी करने के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए विधि सम्मत् कार्यवाही करें

8. निर्णय आज दिनांक 4/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर